झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सी.एम.पी. सं. 873/ 2019

- - - - - -

शांति देवी और अन्य	...	याचिकाकर्ता
	बनाम	
झारखंड राज्य	...	उत्तरदाता

- - - - - -

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

- - - - - -

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्रीमती मौसमी चटर्जी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: श्री राकेश कुमार शाही, एससी (एल एंड सी) -I के ए.सी.

- - - - - -

आदेश संख्या 06 दिनांक- 03.12.2021

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के कहने पर यह सिविल विविध याचिका दायर की गई है, जिसमें एफ.ए. संख्या 152/2012 को मूल फाइल में बहाल करने की प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता संख्या 13, खोखी देवी की मृत्यु 17.01.2017 को हो गई

है, उसने अपने पीछे याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता संख्या 7, 8, 11 और 12 को छोड़ा है, जो उनके कानूनी प्रतिनिधि हैं। वे लोग पहले से ही इस सिविल विविध याचिका में (याचिकाकर्ता संख्या 7, 8, 11 और 12 के रूप में) पक्षकार हैं। आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता संख्या 1, 2, 5, 9 और 10 की भी मृत्यु हो गई है, उनके कानूनी प्रतिनिधि क्रमशः 1 (i) (ii), 2 (i), 5 (i), 9 (i) (ii) और 10 (i) (ii) हैं और वे पहले से ही इस सिविल विविध याचिका के पक्षकार भी हैं। इसलिए, निवेदन है कि त्रुटि संख्या 4 और 13 को नजरअंदाज किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा बताई गईं त्रुटि संख्या 4 और 13 को नजरअंदाज किया जाता है।

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 04.04.2018 के अनिवार्य आदेश का पालन न करने के कारण एफ.ए. संख्या 152/2012 खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब प्रथम अपील लंबित ही था, उसी दौरान कुछ अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई, लेकिन याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के तत्कालीन अधिवक्ता की लापरवाही के कारण, त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सका। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं के पास प्रथम अपील में अपना पक्ष रखने के लिए के लिए बहुत मजबूत आधार हैं और यदि एफ.ए. संख्या 152/2012 को मूल फाइल में बहाल नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को बहुत अधिक क्षति होगी। अतः निवेदन है कि एफ.ए. संख्या 152/2012 को मूल फाइल में उसी स्थान पर बहाल किया जाए, जहां वह खारिज होने से पहले था।

एससी (एल एंड सी) -I के विद्वान एसी को एफ.ए. संख्या 152/2012 की बहाली की मांग पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, एफ.ए. संख्या 152/2012 को मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

एक सप्ताह के बाद संबंधित पीठ के समक्ष एफ.ए. संख्या 152/2012 को सूचीबद्ध किया जाए।

तदनुसार इस सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया.)

सोनू-गुंजन/